23/5/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्राप्त अन्तर्गत धारा -10 व 11 ज्ञा० दी० पेश हुयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर है।
	विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय दस्तावेज के अवलोकन से हम पाते हैं कि प्रार्थी / प्रतिवादी सं 11, 13, 14, 17, 19 व 20 ने प्रा० पत्र

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (द्वि०)

फर्द अहकाम

न्यायालय [stamp, illegible] छोटेलाल उर्फ छोटू बनाम [illegible]

संख्या दीवानी 30/24

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	23/5/25	अन्तर्गत धारा – 10, 11 जा०दी० में पश्चातवर्ती वाद की अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किए जाने का एवं Res judicata के तहत निर्णीत किए जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने ~~[illegible]~~ यह कथन किया है कि उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में एक अन्य वाद संख्या 29/2024 धन्ना ~~कालू~~ बनाम कालू, माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित है, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। उक्त पूर्ववर्ती (वाद	

[signature]

पीठासीन अधिकारी ... जयपुर शहर ...

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

छोटेलाल आदि बनाम कृष्णा [illegible]

केस संख्या [illegible] 3/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	23/10/23	(धन्ना बनाम कालू) एवं पश्चातवर्ती वाद (छोटेलाल बनाम कृष्णा) में विवादित कृषि आराजी एवं पक्षकार एकसमान है, पक्षकारों द्वारा चाहा गया अनुतोष भी समान है। अतः धारा-10 सि० प्र० सं० के प्रावधानों के तहत पश्चातवर्ती दावे (छोटेलाल बनाम कृष्णा) पर अग्रिम कार्यवाही को रोका जाना उचित समझते हैं। प्रार्थी का प्रा० पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर हस्तगत पश्चातवर्ती वाद छोटेलाल बनाम कृष्णा में, पूर्ववर्ती वाद	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

छोटेलाल आदि [illegible] / छोटू [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर [illegible]

केस संख्या 6007/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	23/5/25	के अंतिम निस्तारण तक कार्यवाही रोकी जाती है। निर्णय आज दिनांक 23/5/25 को सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर जयपुर शहर [illegible]	